		तारीख अहकाम की इस की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.10.17	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2017 बगतावर सिंह बनाम भंवर सिंह अर्तगत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी वकुलाय पक्षकारण उपस्थित प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्व वाद संख्या 5/2014 निर्णय दिनांक 04.07.2016 तथा रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 51/2016 अर्तगत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रहलाद सिंह बनाम भवरसिंह ने पेश किया है जिसकी विषयवस्तु इस प्रकार है कि ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा न 1076 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा का राजस्व वाद जो दिनांक 04.07.2016 को डिक्री किया गया है को खारिज करने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादीगण ने न्यायालय को गुमराह करते हुये महत्वपूर्ण तथ्य को छूपाते हुये डिक्री प्राप्त की. है जो अपास्त किये जाने योग्य है प्रार्थी सं. 1 हमीर सिंह का पुत्र है तथा इनका सर्वगवास दिनांक 02.1.2000 को हो चुका है इसी प्रकार प्रार्थी सं 2 व 3 भूर सिंह के वारिश है तथा प्रार्थी सं 4 व 5 जवाहर सिह के वारिश है प्रार्थी सं 6 मुकन सिह का वारिश है वर्तमान में प्रार्थीगण के पूर्वजो का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है प्रार्थीगण सं 2 से 6 का वर्षो पूर्व देहान्त हो चूका है वादीगण द्वारा न्यायालय को अंन्धरे मे रख कर अनुचित लाभ लेने की गरज से मृत व्यक्तियों का पक्षकार बनाया एवं डिक्री अंर्जित कि है प्रतिवादीगण 1 से 17 सभी फोत हो चूके है और राजस्व रेकर्ड मे पूर्वजो के नाम ही दर्ज है प्रतिवादीगण 1 सें 17 वर्तमान के वारिशान धोलेरिया शासन के निवासी थे तथा वर्तमान में वही निवास करते है इसलिए झूठे निवास पते इत्यादि लिख कर डिक्री हासिल की है जो खारिज होने योग्य है प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ क्योकि प्रतिवादीगण 1 से 17 मृत व्यक्ति थे और उनके वारिसान को पक्षकार नही बनाया इस कारण तामील को प्रयाप्त आधार मानने से प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारी पर प्रतिकुल प्रभाव पडा है इसलिए डिक्री दिनांक 4.7.2016 को खारिज फरमावा जावें पत्रावली पर धारा 5 मयाद का प्रार्थना पत्र तथा प्रतिवादी गण के मृत्यू प्रमाण पत्र आदि पेश किये है एक प्रार्थना पत्र इस आशय का भी पेश है कि अप्रार्थी संख्य 4 की मृत्यू हो गई इसलिए इसकी सूचना का यह प्रार्थना पत्र है हमने इस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षो को सूना तथा पत्रावली मय मूल दावे की पत्रावली की गहाराई से अधोपान किया वर्तमान अप्रार्थी 4 की मृत्यु होना बताया जा रहा है किन्तु साक्ष्य के रूपा में प्रमाण पत्र पेश नही किया है और न ही बरवक्त बहस ही पेश किया है दिनांक 19.9.2017 को पेश किया गया प्रार्थना पत्र बिना दस्तावेजों के आधा अधुरा है जबकि वादीगण का यह दायित्व था कि वह मूल दावा दिनांक 13.1.2014 को पेश करने के पश्चात दोराने कायार्वाही वादीगण के मृतक कि कायम मूकाम की कार्यावाही करतें जबकि उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष कायाम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया और इतने लम्बे अरर्से के बाद ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करना न्यायापकिया को माखोल उडाने जेसा प्रतीत हो रहा है अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 19.9.2017 बाबत अप्रार्थी 4 के कायाम मुकाम बाबत का खारिज किया जाता है क्योंकि जब मूल दावा ही मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णत करवा दिया है तो अब यह प्रार्थना पत्र युक्ति युक्त नही है । अगर पक्षकारों द्वारा न्यायालय को सही समय पर सही जानकारी नही उपलब्ध कराई जायेगी तो न्यायकि प्रकिया में अनुचित व्ययधान होगा और न्यायिक प्रकिया भी इससे बाधित रहेगी जैसा की हमारे सामने प्रार्थना पत्र में यह भी आया है की प्रतिवादीगण सभी फौत हो चुके है और मूल दावे में उनके कायम मुकाम की कोई कार्यावाही नही की गई है इस तर्क के सबंध में हमारा ऐसा मानना है कि जो पक्षकार न्यायालय के समक्ष स्वच्छं हाथों से नही आए किसी प्रकार का वे अनुतोष पाने के अधिकारी नही है इस संबध में हमारा यह मानना हे कि मूल दावे में जो निर्णय पारित किया है की देखने मात्र से मृत व्यकितयो के विरूद्ध परित किया है जो अपने आप में शून्य है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व वाद संख्या 5/2014 भंवर सिंह बनाम सरदारसिंह अर्तगत धारा 88 188 आरटीएक्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2016 को अपास्त किया जाता है आदेश बसरे इजरास लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 03/X/2017	

Scanned by CamScanner